कार्यालय उप वन संरक्षक, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

E-mail :dfomus-forest-uk@nic.nic,dfo_mussoorie@rediffmail.com Phone/fax 01352631765

पत्रांक 2040 /10–1 दिनांकः मसूरी 30/11/2021

सेवा में,

स्पार्क एडवरटाइजमेंट
म0नं0–401,जी ब्लॉक
नेहरू कॉलोनी, देहरादून।

विषयः– वर्ष 2021 लीसा फसल ढुलान की निविदा का प्रकाशन विषयक।

महोदय,

निवेदन है कि इस वन प्रभाग के वर्ष 2021 लीसा फसल के लीसा भरे टिनों के ढुलान की निविदा का प्रकाशन निम्नानुसार दैनिक समाचार पत्रों 1–दैनिक हिस्दुस्तान 2–दैनिक अमर उजाला में न्यूनतम साईज में प्रकाशित करवाने की कृपा करें।

निविदा– लीसा ढुलान

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मसूरी वन प्रभाग में वर्ष 2021 में लीसा फसल से उत्पादित 718.27 कुन्तल (अनुमानित) लीसा भरे टिनों को प्रभाग की मगरा, पापरा एवं नाली के रोड़ हेड स्थित लीसा डिपों से ऋषिकेश रेल हेड डिपो तक लोडिंग/अनलोडिंग सहित सुरक्षित ढुलान हेतु इच्छुक व्यक्तियों/फर्मो/सरकारी–गैर सरकारी विभागों/संस्थाओं/निकायों से दि0 04–12–2021 सांय 4.00 बजे तक पंजिकृत डाक से मुहरबंद निविदायें आमन्त्रित की जाती हैं। जो कि दि0 06–12–2021 को अपरान्ह 12.00 बजे अधोहस्ताक्षरी अथवा अधोहस्ताक्षरी के प्रतिनिधि के द्वारा खोली जायेगी। निविदा फार्म 500.00 रू0 (पांच सौ रू0) एवं जी0एस0टी0 की धनराशि नकद भुगतान कर दि0 03–12–2021 तक सायं 5.00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय, मसूरी से क्रय किये जा सकते हैं। निविदा के संबंध में विस्तृत जानकारी अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय, मसूरी से प्राप्त की जा सकती है। टेण्डर शर्तें नोटिस बोर्ड पर चस्पा हैं।

मोटर रोड़ लीसा डिपो व रेंज का नाम	लीसा भरे टिनों की अनुमानित मात्रा	अनुमानित दूरी लीसा मोटर रोड़ डिपो से ऋषिकेश तक
1– मगरा (जौनपुर)	353.71कुन्तल	110 किमी0
2– नाली (मसूरी)	283.08कुन्तल	
3– पापरा (देवलसारी)	81.48 कुन्तल	
योग–	718.27 कुन्तल	

उप वन संरक्षक,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

भवदीय

उप वन संरक्षक,
मसूरी वन प्रभाग,मसूरी।

I.T.G.C. Advertisement
03/12

—: लीसा ढुलान निविदा सूचना :—

शर्तें / प्रतिबन्धः—

1— निविदा के साथ 5000/—(पांच हजार रूपये) का बंधक धन (Earnest money) एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0 के रूप में प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी के पक्ष में निरूपित किया गया संलग्न होना चाहिए। बिना बन्धक धन के निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। बन्धक धन नकद रूप में किसी प्रकार स्वीकार नहीं किया जायेगा।

2— निविदा में ढुलान दर प्रति कुन्तल में दी जाये, ढुलान किये जाने वाले वजन में खाली टिनों का वजन भी शामिल होगा। ढुलान निम्न रोड़ साईड डिपुओं से किया जाना हैः—

रेंज का नाम	लीसा डिपों नाम	अनुमानित लीसा मात्रा
जौनपुर रेंज	मगरा से ऋषिकेश	353.71
मसूरी रेंज	नाली से ऋषिकेश	283.08
देवलसारी रेंज	पापरा से ऋषिकेश	81.48
	योगः—	**718.27**

नोटः—ढुलान किये जाने वाले उक्त लीसा की मात्रा घट बढ़ सकती है।

3—टेण्डर के साथ 10.00 रूपये का नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर तथा उस पर 1.00 रूपये का टेण्डरदाता का हस्ताक्षरित रसीदी टिकट संलग्न करना अनिवार्य है।

4—निविदा केवल उन्हीं व्यक्तियों की मान्य होगी जिनका पक्का व्हीकल परमिट का रजिस्ट्रेशन ऋषिकेश तक वाया देहरदून—मसूरी आदि स्थलों का होगा। निविदा के साथ ट्रक रजिस्ट्रेशन की प्रति जो कि किसी भी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित हों संलग्न करना अनिवार्य है।

5—लीसा भरे टिनों का ढुलान इस प्रकार नियमित रूप से करना होगा जिससे भण्डार डिपुओं में जंगल से आने वाले टिनों के लिये हर समय स्थान उपलब्ध रहे व 31 दिसम्बर 2021 तक सम्पूर्ण, उत्पादित लीसे का ढुलान हो जाना चाहिए। यदि किसी भी समय यह पाया गया कि लीसा ढुलान की गति धीमी है तो विभागीय रूप से लीसे ढुलान का कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा, इस पर होने वाली अतिरिक्त व्यय की कटौती सम्बन्धित टेण्डरदाता से की जायेगी।

6—न्यूनतम प्राप्त टेण्डर दर को स्वीकार करना बाध्यता नहीं हैं। प्रभागीय वनाधिकारी को अधिकार होगा कि वे बिना कारण बताये किसी भी निविदा को अस्वीकार कर दें।

7—निविदा की स्वीकृति मिलते ही एक सप्ताह के अन्दर निविदा देने वाले को स्वीकृत मूल्य के 10: प्रतिशत प्रतिभूति एन0 एस0 सी0/एफ0डी0 के रूप में जमा करनी होगी। अस्वीकृति निविदाओं की बन्धक धनराशि वापस लौटा दी जायेगी।

8—जब तक प्रतिभूति जमा न हो और अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर न हो जायें तब तक टेण्डर स्वीकृत नहीं माना जायेगा।

9—यदि लीसा ढुलान करते समय किसी प्रकार से लीसा नष्ट/क्षति हो जाये या उसके द्वारा चुराया जाये तो प्रभागीय वनाधिकारी को यह अधिकार होगा कि वे वर्तमान बाजार दर से लीसे की कीमत सम्बन्धित टेण्डरदाता से वसूल कर सकते है।

~~10—निविदा देने वाले व्यक्तियों को आवश्यक है कि वे स्वयं अपने प्रतिनिधि द्वारा भण्डारों आदि का~~ ज्ञान प्राप्त कर ही निविदा देवें।

11—लीसा भरे टिनों का ढुलान नियमानुसार जारी रवन्नों व चालान के द्वारा ही होगा। यह चालान सम्बन्धित वन क्षेत्राधिकारी या डिपो प्रभारी से प्राप्त करना होगा। ठेकेदार तब तक लीसा भरे टिनों का उत्तरदाई रहेगा, जब तक वह उन्हें सुरक्षित तौर पर लीसा भण्डार ऋषिकेश में लीसा भण्डार अधिकारी के पास न पहुचाँ दे। ढुलान के दौरान टिनों के टूटने या पिचक जाने तथा लीसा क्षति होने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित टेण्डरदाता का होगा।

12—पैट्रोल, डीजल व अन्य मदों की दरों में बढ़ोतरी होने पर लीसा ढुलान में स्वीकृत टेंडर दरें अपरिवर्तनीय रहेंगी।

13—ढुलान की दर में रास्ते की चुंगी, पुल का टैक्स, ट्रांसिफमेन्ट का कार्य, टिनों की लोडिंग व अनलोडिंग इत्यादि सब खर्चं शामिल होगें।

14—टेण्डरदाता को जिलाधिकारी या उप जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त अपना हैसियत प्रमाण पत्र टेण्डर के साथ प्रस्तुत करना होगा जिसमें टेण्डरदाता की हैसियत कम से कम 4,00,000/— की होनी अनिवार्य है। बिना हैसियत प्रमाण पत्र के टेण्डर स्वीकार किया जाना सम्भव नहीं होगा।

15—टेण्डरदाता को जिलापरिषद का लाइसंस भी टेण्डर के साथ प्रस्तुत करना होगा।

16—टेण्डरदाता को ट्रक का रजिस्ट्रेशन जो कि वर्ष 2021 हेतु परिवहन विभाग से नवीनीकरण किया गया हो, टेण्डर के साथ प्रस्तुत करना होगा।

17—टेण्डरदाता को जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र जो कि 06 माह से पुराना न हों, भी टेण्डर के साथ प्रस्तुत करना होगा।

18—व्यापार कर पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न होना आवश्यक है।

19—लीसा ढुलान बिलों का भुगतान बजट उपलब्धता पर किया जायेगा।

प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

पत्रांक 2040 /10—1 दिनांक मसूरी 30/11/2021.।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मुख्य वन संरक्षक, शिवालिक जोन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. आई0टी0सैल, कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून को विभागीय वैब साईट में अपलोड करने हेतु प्रेषित।
5. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, यमुना वृत्त।
6. उप प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, देहरादून तथा मसूरी।
7. समस्त वन क्षेत्राधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसका वृहद प्रचार—प्रसार अपनी रेंज के अन्तर्गत करें।
8. लीसा भण्डार, अधिकारी, ऋषिकेश।
9. कार्यालय नोटिस बोर्ड हेतु।

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।